IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

WRIT PETITION NO. 2633 (MS) OF 2001

(OLD NO. 13170 OF 1997)

State of U.P.,
Through the Executive Engineer,
Provincial Division, Public Works Department,
Dehradun. .....Petitioner.

Versus

1. The presiding Officer, Labour Court, U.P. Dehradun.
2. P.W.D. Mustor Roll Mazdoor Union, Dehradun.

.....Respondents.

Learned Standing Counsel for the State.

Dated: 05.05.2006

Hon'ble Rajesh Tandon, J.

By the present writ petition, the petitioner has prayed for a writ of certiorari quashing the award dated 25th September, 1995 passed by the labour Court, U.P. Dehradun, in Adjudication Case No. 152/92. Further prayer has been made for a writ of mandamus commanding the respondents not to give effect to the award dated 25.09.1995 passed by the labour Court.

2. Briefly stated, respondent no. 2 filed an application before the State Government U/s 4-K of the Industrial Disputes act and accordingly a reference was sent to the labour Court for Adjudication Award Notification dated 4th April, 1992. Following reference was made to the labour Court:-

"उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश सं0 4511.16 श्रि0आ0क्र/36–श्रमवि0क्र0बी0 23/91, देहरादून दिनांक 4–4–92 के द्वारा निम्नलिखित विवाद विषय अभिनिर्णय हेतु इस श्रम

न्यायालय को प्रेषित किया गया तथा जिसे अभिनिर्णय विवाद संख्या 152/92 में पंजीकृत किया गया।

vk|kfxd fookn ¼nk½ dk fooj.k%&

"क्या सेवायोजकों द्वारा संलग्न परिप्रिष्ट में उल्लिखित अपने 49 श्रमिकों को नियमित न किया जाना तथा नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य एवं पद के अनुरूप उन्हे अन्य सुविधायें न दिया जाना अनुचित तथा/अथवा अवैधानिक है' यदि हा़त्र तो संबंधित श्रमिक तथा लाभ/क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं किस तिथि से तथा अन्य कि विवरण सहित।"

The Labour Court vide its order dated 25.09.1995 passed the following direction to the following effect:-

"अतः मैं यह अभिनिर्णय देता हूँ कि सेवायोजकों द्वारा संलग्न परिप्रिष्ट में उल्लिखित अपने 49 श्रमिकों को नियमित वेतनमान न देना व नियमित न करना अनुचित/अवैधानिक है तथा यह निर्देप्र देता हूत्र कि इनको इनके पद का नियमित वेतनमानह इस अभिनिर्णय की तिथि से दिया जाय तथा उपलब्ध पदों पर इनका नियमितीकरण किया जाय और यदि उपलब्ध पदों की संख्या कम है तो एक स्कीम बनाकर पदों की स्वीकृति प्राप्त की जाय।"

While passing the award the labour court has recorded a finding to the following effect:-

"सेवायोजकों द्वारा स्वयं अपने विभाग के आदेप्रों की प्रतियां दाखिल की गई हैं जिनमें ऐसे श्रमिकों कों जिन्होंने पांच साल तक काम कर लिया है स्थायी करने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देप्र हैं। अतः कोई कारण नहीं दिखता कि वादी श्रमिकों को उनके समान ही कार्य करने वाले नियमित श्रमिकों के वेतन में भेदभाव व अन्तर हो तथा यह अन्तर और अधिक लम्बे समय तक चले। यदि स्वीकृत पदों की संख्या कम है तो यह विभाग का ही उत्तरदायित्व है कि पदों की स्वीकृति प्राप्त करें क्योंकि पांच साल से भी अधिक के समय तक श्रमिकों का दैनिक वेतन पर चलते रहना 'समान कार्य–समान वेतन' के सिद्धान्त के विपरीत है। एक ही प्रकार का समान कार्य करने वाले श्रमिकों की दो भिन्न श्रेणियों ि जिनमें वेतन व सुविधाओं का अन्तर होक्र होना उचित नहीं है। दैनिक वेतन भोगी व कैजुअल प्रकृति के श्रमिक एक वर्ष से अधिक नहीं चलते हैं और यदि उनकी आवप्रयकता

एक वर्ष से भी अधिक लगातार होती है तो उनके कार्य की प्रकृति कैजुअल व अस्थायी नहीं रह जाती। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा धरवाड़ जिला पी डब्लू डी लिटरेट डेली वेज इम्प्लाइज एसोसिएप्रन बनाम कर्नाटक राज्य में दिनाकं 23 फरवरी 90 र्एिफ एल आर 1990क्र पेज 576क्र को दिये गये निर्णय में भी यही मत व्यक्त किया गया है।

In view of the aforesaid findings that the respondent no. 2 has worked for more than five years and there is a rule for regularization. The finding recorded by the labour Court for consideration of regularization requires no interference under Article 227 of the Constitution of India.

Writ petition lacks merit and is dismissed. No order as to costs.

(Rajesh Tandon, J.)

05.05.2006

Rathour